सं.—५१५४/५०—यु०क०—१९९२

प्रेषक,

डा० यश पाल सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

सेवा में,

१—निदेशक युवा कल्याण एवं
प्रशासकीय समादेष्टा,
प्रादेशिक विकास दल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

२— निदेशक, खेल कूद,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग **लखनऊ : दिनाँक १९ अगस्त, १९९२**

विषय :— ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमान पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन।

महोदय,

युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण युवा शक्ति को गतिशील एवं क्रियाशील बनाने उन्हें चिन्हित कर राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने उनका चारित्रिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास सुनिश्चित कर रचनात्मक कार्यों में उनका सहभागीदारी सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण अंचलों में छिपी प्रतिभाओं को विकसित कर उन्हें नया स्वरूप देने हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि युवा खेलकूद संबंधित विभागीय कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित ढंग से सम्पादित कराये जांय।

ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार १२ वर्ष से कम आयु के बालक—बालिकाओं की खेल "प्रतिभाखोज" प्रतियोगिता एवं १६ वर्ष से कम आयु के बालक—बालिकाओं को खेल प्रतिभायें प्रति वर्ष ब्लाक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक करायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद के प्रति अभिरुचि पैदा करने, बालक—बालिकाओं के शारीरिक सम्वर्द्धन एवं उनकी प्रतिभा को विकसित करने हेतु यह आवश्यक है कि ग्राम सभा स्तर पर प्रतिदिन खेलकूद प्रतियोगिताओं का प्रभावी ढंग से आयोजन किया जाये। प्रत्येक ग्राम सभा में युवक/महिला मंगल दलों द्वारा खेलकूद का आयोजन किया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम सभा में तथा प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल में प्रतिदिन कुछ न कुछ खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, परन्तु विभिन्न स्तरों पर जो खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, उनमें सभी खिलाड़ियों को भाग लेने का अवसर नहीं मिल पाता है। अत: अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिवर्ष प्रतियोगिताएं निम्नलिखित स्तरों पर आयोजित कराई जायेंगी :—

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

खेल प्रतिभाखोज प्रतियोगिता

१– न्याय पंचायत स्तर–

आयु सीमा–

क) १० वर्ष तक के बालक–बालिका।

ख) १० से १२ वर्ष तक के बालक–बालिका।

निम्नलिखित प्रतियोगितायें आयोजित कराई जायेंगी–

१– एथलेटिक्स १००, ४०० मी. दौड़, लम्बी कूद।

२– फुटबाल

३– जिम्नास्टिक फ्लोर इक्सरसाइज एवं बल्टिंग हार्स, बालक/बालिका ५० से ७० सेकेण्ड (आप्सनल फ्लोर इक्सरसाइज बालक/बालिका ५० से ९० सेकेण्ड एवं वाल्टिंग हार्स १.१० मिनट, बालक क्रास वाई १.२० मिनट)।

४– वालीबाल

५– तैराकी (जहाँ सुविधा उपलब्ध हो) ५० मीटर फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक।

६– कुश्ती २४, २६, २८, ३०, ३२, ३५, २८ एवं ४२ किग्रा।

उपरोक्त में से ५ आइटम्स में प्रतियोगितायें कराना आवश्यक होगा। इन प्रतियोगिताओं में न्याय पंचायत के अन्दर पड़ने वाले प्रत्येक ग्राम सभा, प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल के बालक–बालिकाओं को भी भाग लेने का अवसर दिया जाए।

प्रतियोगिता का स्थान

न्याय पंचायत के अन्तर्गत किसी पंचायत घर, जूनियर हाईस्कूल, प्राइमरी विद्यालय, जहाँ खेलकूद का मैदान उपलब्ध हो, में प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी।

आयोजक समिति

प्रतियोगिताओं को आयोजित कराने के लिए निम्नलिखित समिति होगी–

(१) क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी।

(२) संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, जहाँ प्रतियोगितायें होंगी।

(३) ग्राम पंचायत अधिकारी।

(४) हल्का सरदार।

न्याय पंचायत स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं से संबधित एक रजिस्टर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी द्वारा रखा जायेगा, जिसमें प्रत्येक आइटम में वरीयताक्रम में १ से ५ तक

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

विजयी खिलाड़ियों के विवरण रखे जाएगें। हल्का सरदार द्वारा अपनी न्याय पंचायत के समस्त खिलाड़ियों का पंजीकरण सुनिश्चित कराया जायेगा, जिसमें यह ज्ञात हो सके कि न्याय पंचायत स्तर पर कितने खिलाड़ियो द्वारा भाग लिया गया तथा रजिस्टर में प्रत्येक गांव सभावार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का विवरण अंकित होगा। न्याय पंचायत स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी ब्लाक स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।

प्रतियोगिता की तिथि

प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर यह प्रतियोगिताएं १ से २९ सितम्बर, १९९२ के मध्य करायी जांय।

२. ब्लाक स्तर

ब्लाक स्तर पर यह प्रतियोगिताएं दिनांक ३० सितम्बर एवं १ अक्टूबर को आयोजित करायी जायेंगी।

आयोजन समिति

ब्लाक स्तर पर प्रतियोगितायें संचालित/आयोजित करने के लिए निम्न प्रकार समिति होंगी–

१– खण्ड विकास अधिकारी।

२– सहायक खण्ड विकास अधिकारी (पंचायत)

३– क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा० वि० द० अधिकारी।

४– ब्लाक कमाण्डर।

ब्लाक स्तर, प्रदेश स्तर, मण्डल स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगितायें खेलकूद विभाग द्वारा प्रति वर्ष करायी जाती है। उक्त प्रतियोगितायें उसी प्रकार से आयोजित की जायें जिसकी तिथियां निम्न प्रकार से निदेशक, खेलकूद द्वारा सूचित की जाएगी तथा वरीयता क्रम में सभी स्तरों पर १ से ५ तक विजयी खिलाड़ियों की सूची रखी जायेगी और प्रत्येक स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागी ही अगले स्तरों की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।

१– जिला स्तर ३ एवं ४ अक्टूबर, १९९२

२– मण्डल स्तर ६ एवं ७ अक्टूबर, १९९२

३– राज्य स्तर ९ एवं १० अक्टूबर, १९९२

१६ वर्ष तक के आयु के बालक बालिकाओं की प्रतियोगितायें

इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश संख्या २१७५/५०–१९९१–९६/९१ दिनांक ३ मई १९९१ का अतिक्रमण करते हुए निम्न प्रकार प्रतियोगितायें आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है :–

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

न्याय पंचायत स्तर

प्रत्येक न्याय पंचायत में यह प्रतियोगिताए दिनांक ५ अक्तूबर से ५ नवम्बर के मध्य प्रति वर्ष आयोजित की जायेंगी तथा इसमें सभी ग्राम सभाओं के खिलाड़ियों तथा न्याय पंचायत में आने वाले प्राइमरी, जूनियर हाईस्कूल के खिलाड़ियों को अवसर दिया जाय तथा सभी गाँव सभा के खिलाड़ियों का विवरण अंकित किया जाए। १ से ५ तक विजयी खिलाड़ियों के विवरण वरीयताक्रम में क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी द्वारा रजिस्टर तैयार करके रखे जायेंगे। न्याय पंचायत स्तर पर निम्नलिखित प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी :–

१– फुटबाल (केवल बालक)

२– खो–खो (बालक–बालिका)

३– तैराकी (बालक–बालिका)

४– बास्केटबाल (बालक–बालिका)

५– हैण्डबाल (बालक–बालिका)

६– हाकी (बालक–बालिका)

७– कबड्डी (बालक–बालिका)

८– कुश्ती (केवल बालक)

९– एथलेटिक्स (बालक) १००, २००, ४००, ८००, १५००, ३००० मीटर रेस, लम्बी कूद चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, ४ x १०० मीटर रिले रेस।

एथलेटिक्स (बालक) १००, २००, ४००, ८००, ३००० मीटर रेस, ऊँची कूद, लम्बी कूद, चक्का फेंक, भाला फेंक ४ १०० मीटर रिले रेस।

१०– जिम्नास्टिक बालक बालिका।

११– बालीबाल बालक–बालिका।

१२– भारोत्तोलन (केवल बालक)

उपरोक्त आइटमों में से किन्ही ५ में प्रतियोगितायें कराना आवश्यक होगा। एथलेटिक्स की प्रतियोगितायें एक आइटम के अन्तर्गत आयेंगी और अनिवार्य होंगी।

न्याय पंचायत स्तर पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त विजयी, खण्ड स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

प्रतियोगिता की तिथियां

१– खण्ड स्तर ६ एवं ८ नवम्बर १९९२

२– जिला स्तर १५ एवं १७ नवम्बर १९९२

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

३– मण्डल स्तर २३ एवं २४ नवम्बर १९९२

४– राज्य स्तर २९ एवं ३० नवम्बर १९९२

आयोजन समिति

१६ वर्षीय खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के लिए खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता हेतु गठित समिति न्याय पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर उत्तरदायी होगीं

जिला स्तरीय समिति

१–	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
२–	क्षेत्रीय/उप क्रीड़ा अधिकारी	सदस्य
३–	जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
४–	व्यायाम प्रशिक्षक	सदस्य

मण्डल स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु

मण्डलीय जनपद में तैनात क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, मण्डल के सभी जिला युवा कल्याण अधिकारी एवं व्यायाम प्रशिक्षक ही आयोजन समिति में होंगे।

प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं

प्रदेश स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं की तिथियां उक्त समय सारिणी के अनुसार निर्धारित की गयी हैं और चयन करने के उपरान्त प्रतिभागियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किय जायेगा। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों के अभिलेख वरीयताक्रम में १ से ५ तक रखें जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्तर पर टीमें भेजी जाएंगी। खेलकूद निदेशालय एवं स्पोर्टस कालेज के खिलाड़ियों के साथ ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के आधार पर राज्य स्तर पर चयनित खिलाड़ियों की पारस्परिक प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी, जिसके आधार पर प्रदेश की टीम हेतु चयन निदेशक, खेलकूद, प्रधानाचार्य स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ, निदेशक, युवा कल्याण, संयुक्त सचिव, खेलकूद तथा उस खेल से संबधित एक वाहय विशेषज्ञ की संयुक्त समिति द्वारा किया जाएगा, ताकि इन्ही खिलाड़ियों में से प्रदेश स्तरीय टीम के चयन में भाग लेने हेतु खिलाड़ी नामित किए जा सकें।

राष्ट्रीय स्तर पर १६ वर्ष तक के बालक–बालिकाओं की स्पर्धाओं से संबंधित टीमें युवा कल्याण द्वारा तथा अन्य खेलों से संबंधित टीमें खेलकूद निदेशालय द्वारा भेजी जाएंगी। पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक ३ मई १९९१ इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

अत: आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रतियोगिताएं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार आयोजित कराने का कष्ट करें, ताकि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर बालक–बालिकाओं को खेलकूद के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जा सके।

भवदीय

डा० यशपाल सिंह

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

पृष्ठांकन संख्या—५१५४ (१)/५०—यु० क०—९२ दिनांक १९ अगस्त, १९९२ प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :—

१— कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

२— महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।

३— निदेशक, पंचायत राज, उ० प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से

एस० पी० बेंजवाल

अनुसचिव

पृष्ठांकन संख्या—५१५४(२)/५०—यु०क०—९२ दिनांक १९ अगस्त, १९९२।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

१— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश एवं अतिरिक्त/संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर, प्रदेश।

२— अध्यक्ष यू० पी० ओलम्पिक एसोसिएशन, उ० प्र० लखनऊ।

३— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

४— समस्त क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

५— समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

६— समस्त क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

७— प्रधानाचार्य स्पोर्टस कालेज, लखनऊ/गोरखपुर।

आज्ञा से

एस० पी० बेंजवाल

अनुसचिव

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com